प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.02.2025

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा .315 बोर, 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद

घटना/कार्यवाही का विवरण - आज दिनांक 05.02.2025 को थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित गिरफ्तार अभियुक्त दीपक पुत्र सूरज उर्फ स्वराज सिंह निवासी शाहपुर रोड पर मूल कुमार त्यागी के मकान में किराये पर ग्राम मोरटा थाना मधुबन बापूधाम कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल पता ग्राम करनपुर थाना अनूपशहर जिला बुलन्दशहर उम्र करीब – 23 वर्ष नें पूछताछ के दौरान बताया कि वह D-342 गैंग का लीडर है तथा उसके व उसके साथियों द्वारा आस-पास के क्षेत्रों से लूट-पाट व चोरी की जाती थी जिनका माल हम लोग घर नही ले जाते थे बल्की आस-पास जंगल व खेतों मे छुपा देते है ताकी हम उसे मौका मिलते ही बेचकर पैसे ले लेते थे और अपना खर्चा चलाते थे अभी भी कुछ सामान जीडीए गोल चक्कर से जो जंगल की तरफ रोड जा रहा है वही झाडियों मे कुछ सामान छिपा रखे है आप चले तो मे चलकर बरामद कर सकता हूँ पूछताछ के दौरान बताये अनुसार बाउम्मीदगी बरामदगी हेतु पुलिस टीम मधुबन बापूधाम मय अभियुक्त दीपक उपरोक्त को के बताए अनुसार जीडीए गोल चक्कर पर पहुचे वहाँ पर अभियुक्त द्वारा गाड़ी रुकवाकर बताया गया कि यही आगे कि तरफ मेरे द्वारा लूटपाट व छिनैती का सामान छिपाया गया है तत्पश्चात गाड़ी से ऊतरकर आगे –आगे पैदल –पैदल प्राचीन हनुमान मन्दिर की तरफ चलते हुए बताया गया कि साहब यही झाड़ियो मे मेरे द्वारा यही कहीं सामान छिपाया गया है व आगे-आगे चलने लगा थोड़ी दूर जाकर यह कहा की थोड़ा सा ओर आगे हो सकता है और अचानक सड़क के दाहिनी तरफ बनी झाड़ियो मे एक-दम से छलांग लगाकर वहां से एक तमंचा उठाया और हम पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जिससे पुलिस टीम द्वारा सिखलाये हुए तरीके से बाल बाल बचे। अभियुक्त द्वारा किया गया फायर पीछे चल रहे सरकारी वाहन नं0 UP14AG0573 के सामने वाले सीसे में लगा जिसमें बैठे चालक विनोद कुमार शर्मा बाल बाल बचे तुरन्त ही अभियुक्त द्वारा पुन तमन्चे में राउन्ड लोड किया गया तब पुलिस टीम मधुबन बापूधाम द्वारा अपने को संभालते हुए तथा मौके की नजाकत को भांपते हुए व अपने व अपने हमराह पुलिस बल की आत्मरक्षार्थ हेतु अभियुक्त दीपक को ललकारते हुये अपने सरकारी असलाह से बदमाश के पैरो की तरफ एक-एक फायर किया गया तथा बदमाश वही भूमि पर कराहते हुये गिर गया तथा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए घायल अभियुक्त दीपक उपरोक्त को मौके पर ही पकड़ लिया। तथा प्राथमिक उपचार देते हुए पुलिस बल के साथ अस्पताल भिजवाया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

दीपक पुत्र सूरज उर्फ स्वराज सिंह निवासी शाहपुर रोड पर मूल कुमार त्यागी के मकान में किराये पर ग्राम मोरटा थाना मधुबन बापूधाम कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल पता ग्राम करनपुर थाना अनूपशहर जिला बुलन्दशहर उम्र करीब – 23 वर्ष

अपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक-

अभियुक्त दीपक उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम में छिनैती का 01 मुकदमा, थाना कविनगर पर 01 मुकदमा छिनैती का, थाना मधुबन बापूधाम पर चोरी के 02 मुकदमे व 01 मुकदमा चोरी का सामान बरामद एवं चोरी की योजना बनाने के, 01 मुकदमा गैंगस्टर एक्ट का, 01 मुकदमा पुलिस मुठभेड का कुल 07 मुकदमे दर्ज है।

बरामदगी का विवरण-

01 तंमचा .315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 खोखा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चोरी/लूट की योजना बनाने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा ,01 जिन्दा कारतूस व पूर्व में लूट के 02 मोबाइल व 2200/- रूपये बरामद ।

दिनांक 04.02.2025 को थाना मसूरी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चोरी/लूट की योजना बनाते हुये 03 अभियुक्तों 1. हर्ष पुत्र रामलखन उम्र करीब 19 वर्ष 2. शाहिल पुत्र नन्हे उम्र करीब 18 वर्ष 3. शिवम पुत्र जितेन्द्र उम्र करीब 19 वर्ष निवासीगण ग्राम मसौता थाना मसूरी जिला गाजियाबाद को गिफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा ,01 जिन्दा कारतूस व पूर्व में लूट के 02 मोबाइल व 2200/- रूपये बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोग पैसे के लालच में आकर एनसीआर व हापुड़ क्षेत्र में अवैध तमंचा के बल पर मोबाइल चोरी / लूट की घटनायें कारित करते हैं तथा उन मोबाइलों को राह चलते व्यक्तियों को सस्ते दामों में बेचकर पैसे आपस में बांट लेते हैं। हमने अब से करीब 8-10 दिन पहले थाना क्षेत्र पिलखुवा में हिण्डालपुर रोड डाल्डा फैक्ट्री के पास हापुड़ से टेम्पू चालक से एक मोबाइल छीना था तथा उसको किसी राह चलते व्यक्ति को बचे दिया था व प्राप्त पैसों को आपस में बाँट लिया था। करीब 10-15 दिन पहले थाना क्षेत्र कपूरपुर में बम्बे की पटरी पर बात कर रहे व्यक्ति से छीना था जिसे हमने राह चलते व्यक्ति को बेच दिया था तथा पैसों को आपस में बाँट लिया था। इनके अतिरिक्त जो दो मोबाइल हम लोगों से मिले हैं वह भी हमने हापुड़ क्षेत्र से छीने थे।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पता –

1) हर्ष पुत्र रामलखन निवासी ग्राम मसौता थाना मसूरी जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।
(2) शाहिल पुत्र नन्हे निवासी ग्राम मसौता थाना मसूरी जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष।
(3) शिवम पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम मसौता थाना मसूरी जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा ,01 जिन्दा कारतूस व पूर्व में लूट के 02 मोबाइल व 2200/- रूपये बरामद।

पंजीकृत अभियोग व अभियुक्तो का आपराधिक इतिहास

उपरोक्त घटना के सम्बध में अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा थाना कपूरपुर व थाना पिलखुवा में झपट्टमारी के कुल 02 अभियोग अभियोग पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त हर्ष व शिवम के विरूद्ध थाना मसूरी पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा शिशु का अपहरण करने वाले 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार व अपहृत शिशु सकुशल बरामद।

दिनांक 04.02.2025 को थाना वेवसिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त मनोज पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम हरहरपुर नासिरपुर थाना उझानी जिला बदायूँ द्वारा वादी की अनुपस्थिति में वादी के घर जाकर वादी की पत्नी से वादी के पुत्र उम्र करीब 09 माह को खिलाने के बहाने से घर से बाहर ले जाना तथा वादी के पुत्र को किसी अज्ञात स्थान पर छुपा देना। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना वेवसिटी पर तत्काल धारा-137(2)/142 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपहृत शिशु की सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन कर तलाश शुरू की गई।

तत्पश्चात दिनांक 04.02.2025 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल ईनपुट व सर्विलांस के आधार पर अभियुक्तगण (1) मनोज पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम हरहरपुर नासिरपुर थाना उझानी जिला बदायूँ हाल पता- ब्लाक एफ 660 हसमुख बंसल की कम्पनी में कार्यरत खिचरा थाना धौलाना जिला हापुड़ (2) महावीर पुत्र नन्दरामजी निवासी गांव बाँशखेडा थाना आईटीआई जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड (3) हरवंश सिंह पुत्र किशोरी सिंह निवासी ग्राम बांशखेडा काशीपुर थाना आईटीआई जिला उधमसिंह नगर को गिरफ्तार किया गया तथा अपहृत शिशु उम्र करीब 09 माह को सकुशल बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त मनोज ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं हसमुख बंसल की कम्पनी में खिचरा थाना धौलाना जिला हापुड़ में कारीगर हूँ व इसी कम्पनी में रहता हूँ। मेरे पहले से परिचित महावीर पुत्र नन्दरामजी निवासी गांव बाँशखेडा थाना आईटीआई जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड ने मुझसे करीब ढाई महीने पहले फोन पर कोई बच्चा देने के लिये कहा था और यह भी कहा था कि बच्चे के लिये मैं तुम्हे 80 हजार रूपये दूंगा । दिनांक 03.02.2025 की दोपहर समय करीब 12.00 बजे मैं अपनी कम्पनी में काम करने वाले मनोज कुमार पुत्र श्री राम के घर गया था वहाँ से मौका पाकर मनोज की गैर मौजूदगी में मनोज की पत्नी से उसके पुत्र उम्र करीब 09 माह को खिलाने के बहाने से लेकर अपने साथ महावीर सिंह पुत्र नन्दरामजी निवासी ग्राम बांशखेडा काशीपुर थाना आईटीआई जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड के घर ले गया था जहाँ महावीर ने बच्चे की सौदेबाजी कर गाँव के ही हरवंश सिंह पुत्र किशोरी सिंह निवासी ग्राम बांशखेडा काशीपुर थाना आईटीआई जिला उधमसिंह नगर को 80 हजार रूपये नगद प्राप्त कर बेच दिया था उसके बाद मैं रूपये लेकर बांशखेडा से बदाँयू के लिये निकल गया था रास्ते में मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी जिसमे मेरे 05 हजार रूपये के करीब पता नही कहां खर्च हो गये , शेष बचे 70 हजार रूपयों को मैंने अपने रिश्तेदार को दे दिये थे और करीब 5 हजार रूपये अपने पास रख लिये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1.मनोज पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम हरहरपुर नासिरपुर थाना उझानी जिला बदायूँ, हाल पता- ब्लाक एफ 660 हसमुख बंसल की कम्पनी मे कार्यरत खिचरा थाना धौलाना जिला हापुड़, उम्र करीब 29 वर्ष 2.महावीर पुत्र नन्दरामजी निवासी गांव बाँशखेडा थाना आईटीआई जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड, उम्र करीब 38 वर्ष।

3.हरवंश सिंह पुत्र किशोरी सिंह निवासी ग्राम बांशखेडा काशीपुर थाना आईटीआई जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड, उम्र करीब 42 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग:-

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना वेवसिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

थाना वेवसिटी पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 जोड़ी कान की बाली, 01 गले का लोकेट समस्त पीली धातु व 01 मोबाइल फोन बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 05.02.2025 को थाना पर वादिया श्रीमती मीरा पत्नी चोब सिंह निवासी ग्राम प्रहलादगढी थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि दिनांक 03.02.2025 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा मुझे अपनी बातो में फसाकर टप्पेबाजी कर सोने का लोकेट, कान की बाली व 01 मोबाइल फोन ले गया है । तत्काल थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा धारा 319(2),303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 05.02.2025 को वादिया के साथ टप्पेबाजी की घटना कारित करने वाला शातिर अभियुक्त मुस्तफा पुत्र साकिर अली निवासी सैक्टर 2 वसुन्धरा झुग्गी झोपडी थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद, स्थायी निवासी झुग्गी झोपडी दुर्गा चौक भलस्वा डेरी कलंदर कॉलोनी थाना समयपुर बादली नई दिल्ली उम्र करीब 35 बर्ष को नगर निगम पार्क वसुन्धरा सैक्टर 14 से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 जोड़ी कान की बाली, 01 गले का लोकेट समस्त पीली धातु व 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त मुस्तफा पुत्र साकिर अली के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 319(2),303(2) बीएनएस में धारा 317(2) की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त मुस्तफा पुत्र साकिर अली से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 03.02.2025 को अभियुक्त मुस्तफा ने वादिया को अपनी बातो में फसाकर कान की बाली, गले का लोकेट व 01 मोबाइल फोन को अपने साथ ले गया था। जिसे बेचने की फिराक में नगर निगम पार्क वसुन्धरा सैक्टर 14 में घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुस्तफा पुत्र साकिर अली निवासी सैक्टर 2 वसुन्धरा झुग्गी झोपडी थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद, स्थायी निवासी झुग्गी झोपडी दुर्गा चौक भलस्वा डेरी कलंदर कॉलोनी थाना समयपुर बादली नई दिल्ली उम्र करीब 35 बर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 जोड़ी कान की बाली, 01 गले का लोकेट समस्त पीली धातु व 01 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त मुस्तफा पुत्र साकिर अली के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर धोखाधड़ी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास के बारे जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा महिला को बहला-फुसलाकर ले जाकर हत्या कर शव को छुपाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट गाड़ी बरामद।

दिनांक 23.01.2025 को थाना मोदीनगर पर आवेदिका श्रीमति मंजू शर्मा पत्नी विनय कुमार शर्मा निवासी मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिया गया कि आवेदिका की बहन मधु शर्मा उम्र 41 वर्ष का दिनांक 21.01.2025 को घर से डयूटी के लिए बोलकर जाना तथा वापस ना आना। जिसके संबंध में थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

दिनांक 31.01.2025 को आवेदिका श्रीमति मंजू शर्मा उपरोक्त द्वारा पुनः थाना मोदीनगर एक प्रार्थना-पत्र दिया गया कि आवेदिका की बहन मधु शर्मा के तलाकशुदा पति वीरेन्द्र उर्फ सोनू पुत्र महेशचन्द्र शर्मा निवासी ग्राम चुडियाला थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष द्वारा आवेदिका की बहन की हत्या करने के इरादे से बहला-फुसलाकर ले जाना। जिसके संबंध में थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल धारा- 140(1) BNS के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया तथा घटना के अनावरण पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 05.02.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ सोनू को सौन्दा रोड मोदीनगर से घटना में प्रयुक्त गाडी स्विफ्ट कार UP 14 EN 9706 सहित गिरफ्तार किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –पूछताछ करने पर अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ सोनू ने बताया कि मेरी शादी दिसम्बर 2002 में मधू शर्मा से हुई थी, शादी के 02 वर्ष बाद ही हम दोनों पति-पत्नी अलग हो गये। मधु शर्मा अपने परिवार के साथ मोदीनगर मे रहने लगी। जिसके पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा जुलाई-2014 में मेरा एक पक्षीय तलाक स्वीकृत कर दिया गया। फिर मधू शर्मा ने परिवार न्यायालय गाजियाबाद मे खर्चे का वाद दायर कर दिया। सितम्बर 2024 में माननीय न्यायालय द्वारा मधू शर्मा के पक्ष में 6000/- रुपये प्रतिमाह तथा पिछले वर्षो के लगभग 05 लाख रुपये देने के लिए मुझे आदेशित कर दिया। उपरोक्त पैसों को देने से बचने व मधू शर्मा से छुटकारा पाने के उद्देश्य से, मैं सोची समझी साजिश के तहत 21.01.2025 को मोदीनगर आया तथा मधू शर्मा को कॉल कर बुलाया और उसको बहला - फुसलाकर अपनी स्विफ्ट गाडी मे चंडी माता के दर्शन कराने के लिए चंडी मन्दिर हरिद्वार उत्तराखण्ड ले गया तथा पैदल रास्तों से वापस लौटते समय बीच रास्ते मे मधु शर्मा के दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर शव को जंगल मे खाई मे गिरा दिया तथा शव को छुपाने के उद्देश्य से पत्थरो से ढक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

वीरेन्द्र शर्मा उर्फ सोनू पुत्र स्व0 महेशचन्द्र शर्मा निवासी ग्राम चुडियाला थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र 42 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त कार स्विफ्ट UP 14 EN 9706 बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।